

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी R.A.S.

उनवान श्रीखाराम आदि बनाम राजं सरकार आदि  
दावा बाबत नाम डुरुस्ती U/S 88 R.T.A.

मुकदमा नम्बर :- 51/2020

निर्णय दिनांक :- 12-11-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज  
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12-11-21 को श्री राहुल सैनी R.A.S.  
(नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के  
लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वदोगण स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ख.नं. 213, 1063/455,  
1064/455, 1065/455, 1066/479, 1067/479, 1068/479 कुल लगदी 13.5563 हेक्टर  
रोही ग्राम नाकरासर में वदोगण के नाम नौखचन्द के स्थान पर श्रीखाराम एवं लक्ष्मी-  
नारायण के स्थान पर लिखुराम डुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार  
द्वारा उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल द्रामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर  
दी गई।



(राहुल सैनी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

वाद के खर्चे

| वादी                             | प्रतिवादी                     |
|----------------------------------|-------------------------------|
| रूपया                            | रूपया                         |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प       | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     | अर्जी के लिए स्टाम्प          |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प      | प्लीडर की फीस                 |
| 4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस    | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | आदेशिका की तामिल              |
| 6. कमिश्नर की फीस                | कमिश्नर की फीस                |
| 7. आदेशिका की तामिल              |                               |
| जोड़                             | जोड़                          |

